"मै0 धरतीधन प्रा.लि. (पाडला –1)" की जन सुनवाई विवरण

दिनांक 21.06.2022 समय 01.00 दोपहर

जनसुनवाई प्रारम्भ होने से पूर्व श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा, श्री ओ.पी. बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर का स्वागत किया गया तथा उपस्थित आमजन का स्वागत करते हुए जनसुनवाई के सबन्ध में नियमों की जानकारी देते हुए कहा की यह जनसुनवाई भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना (EIA Notification) दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 01.12.2009 के प्रावधानों के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, उदयपुर के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। उक्त जनसुनवाई के लिए नियमानुसार 30 दिवस पूव आम सूचना स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में दिनांक 20.05.2022 एवं दैनिक भास्कर में दिनांक 20.05.2022 को प्रकाशित करवा दी गई थी।

यह जनसुनवाई **"मै0 धरतीधन प्रा.लि. (पाडला–1)"** द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन खनन परियोजना (खनन पट्टा संख्या 22/1991 लीज क्षेत्र 14.47 हैक्टेयर) प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1105895 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 49958 TPA निकट ग्राम पाडला, तहसील सराडा, जिला उदयपुर स्थित प्रस्तावित परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् आयोजित की गई है। प्रस्तावित परियोजना की लागत लगभग रू. 190 लाख है।

अतः उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा परियोजना के बारे में जो जानकारी दी जावेगी उसे ध्यानपूर्वक सुनें तत्पश्चात आपको यदि इसके बाबत् कोई सुझाव/शिकायत हो तो कृपया सबसे पहले अपना परिचय दें जिसमें आपका नाम तथा गांव का नाम बतायें साथ ही अपना सुझाव/शिकायत जो भी हो लिखित अथवा मौखिक जैसा आप उचित समझें हमें दे सकते हैं।

इस जनसुवाई के दौरान आप द्वारा जो भी सुझाव/शिकायत की जावेगी चाहे वह लिखित हो या मौखिक हो उसे हम कलमबद्व करेंगे तथा जनसुनवाई की कार्यवाही की विडियोग्राफी भी ली जा रही है। इसकी सी.डी./डी.वी.डी. के अनुरूप कार्यवृत बनाये जायेंगे। जिसको राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA),जयपुर को प्रेषित करेंगे क्यों कि इस इकाई को सन्दर्भ की शर्त (TOR) दिनांक 07.03.2019 को इस कमेटी द्वारा जारी की है एंव उसमें वर्णित समस्त शर्तों की उद्योग द्वारा पालना की जा रही है या की जायेगी जिसकी सपूर्णता सुक्षमता से जांच कर पर्यावरण स्वीकृति पत्र जारी करने की कार्यवाही करेंगे।

लोक जन सुनवाई में उपस्थित क्षेत्र के पधारे हुए उद्योग मालिक, ग्रामीण एवं जन प्रतिनिधि सदस्यों की सूची (**परिशिष्ठ "अ" में सलंग्न**) है।

उपरोक्त के पश्चात इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शिव कुमार लखारा द्वारा उक्त इकाई के संबन्ध में तैयार की गई ई.आइ.ए. रिपोर्ट संबंन्धित बनायी गयी कार्यकारी सारांश/ई. आई.ए. की विस्तृत जानकारी दी गई जो की **संलग्नक** "ब" के अनुसार है।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

अतः कार्यकारी सारांश/ई.आई.ए. की विस्तृत जानकारी के पश्चात श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. उदयपुर द्वारा उपस्थित आमजन को अपने आक्षेप, सुझाव, शिकायते रखने हेतु आंमत्रित किया गया जो कि निम्नानुसार हैः–

श्री ओ.पी.बुनकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर :–

आप बताओ खान पर काम करते हो वहां पर डस्क मास्क लगाते हो या नहीं इस पर हा कहा। और क्या सेफटी है – मिटटी उड़ती है तो पानी का छिडकाव होता है। हेलमेंट बूट पहनते हो जिस पर हा कहा। ये सभी अन्दर खान में काम करने वाले हो, चाहे मजदूर हो अन्य सभी व्यक्ति के लिए है – अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। मास्क लगाए रखना अन्यथा धीरे धीरे मिट्टी अन्दर जाएगी और सीलोकोसिस बीमारी लग जाएगी जिसका कोई इलाज नही होगा। उससे बचने के लिए सेहत अपने हाथ में है। सारी की सारी सुरक्षा के पूरे उपाय अपनाने है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या कोई कोताही लीज होल्डर की तरफ से होती है तो आप लोग बता सकते हो। ऐसा नहीं कि लीज होल्डर प्रोवाइड कर रहा हो और हमारी ओर से कोताही हो रही हो। क्योंकि यह स्वास्थ्य का मामला है। स्वास्थ्य का मामला सर्वोपरी है।

अभी जैसे आप चाय पीते है तो डिस्पोजल वाले ग्लास में ले लेते है जिसमें छोटे वाले, पानी पीने वाले ग्लास । शादी ब्याह में अब जो इस्तेमाल करते है पत्तल दोने सब अब गायब हो जाएंगे। पत्तल दोने भी अब जो पहले वाले जैसे यूज करते थे पेड़ के पत्तों के बनते थे वा ही यूज करने पडेंगे, वो एलाउल्ड है, ये वाले बेन हो जाएंगे। इसमें भी आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है और मैं लीज होल्डर से भी निवेदन करूंगा कि वो भी अपने परिसर में इस चीज का ध्यान रखे और अभी से तैयारी करें कि वो इस चीज को किस तरह से इम्पलीमेंट करेंगे।

बाकी जैसे एक के बाद एक यह चौथी पर्यावरण सुनवाई चल रही है। इसके बारे में भी आप लोगों के जो भी कोई सुझाव हो, कोई बात हो तो बता सकते है।

ये अलग–अलग पांच माईन्से है जिसमें हम चौथी माईन्स के बारे में बात कर रहे है। कौन सी माईन्स के बारे में बात कर रहे है अगर जैसे मान लो आपको नम्बर से समझ में नहीं आ रहा हो तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते है कि यह कौन सी वाली माईन्स है तो उसके बारे में भी कोई सुझाव हो तो आप कह सकते है।

यह सारा का सारा मिनिटाईज होकर और यही रिपोर्ट आगे जाएगी। इसके आधार पर फैसला होगा कि पर्यावरण स्वीकृति किस हिसाब से मिले।

बताया कि 1 जुलाई, 2022 से सिंगल युज प्लास्टिक की चीजे है जिसमें डिस्पोजल ग्लास, , पत्तल दोने भी बेन हो जाएंगे। पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की जा रही है जिसमें आप जनता का भी सहयोग अपेक्षित है। श्री पालीवाल जी ने बताया कम्पनी से जितना भी हो सकेगा क्लाथ बेग मंगवाकर आस पास में उपलब्ध करवाएंगे।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

क्षैत्रीय अधिकारी, रा.रा.प्र.नि.म., उदयपुर, ने बताया –

कपडे की थेलियां यहां पर बनवायी जा सकती है । पालीवाल जी ने बताया कि गांव वाले के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।

श्री माणक चंद जी सेवानिंवृत सीनियर टीचर, देवपुरा ने बताया कि इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माण में अधिक सहयोग जैसे दो कमरे पूर्णतया बरामदे सहित माईन्स गोलछा जी के नाम से एवं एक कक्ष श्रमिकवर्ग के एक दिन की तनख्वाह से निर्मित किया गया है। इसके अतिरिक्त भी विद्यालय के भवन निर्माण, खेल के समय–समय पर कम्पनी के मजदूर व्यक्तियों एवं वाहनों का सहयोग मिलता रहा है । इसके अतिरिक्त 15 अगस्त एवं 26 जनवरी सार्वजनिक समारोह में बच्चों के लिये मिठाई एवं बोर्ड परीक्षा परिणाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रोत्साहन के रूप उपहार प्रदान किए जाते है। आदिवासी भाईयों के घरों में कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित होता है तो उसमें शुद्ध पानी की सप्लाई कम्पनी टेंकरों द्वारा करती है। ग्रीष्म ऋतु में फेक्ट्री से पंचायत तक की सड़क पर दिन में दो बार पानी का छिडकाव किया जाता है जिससे मिट्टी नहीं उड़े।

श्री पन्ना लाल मीणा, खाखादरा, वार्ड नम्बर–9 ने बताया कि कम्पनी के डम्पर की वजह से रोड़ टूटता रहता है और कभी कभी वाटर स्प्रिंकलिंग भी नहीं होता है।

कम्पनी के माईन्स मैनेजर श्री संदर्श कुमार ने बताया कि जैसे ही रोड टूटता है अपना लोडर एवं जेसीबी की वजह से हम रोड़ रिपेयर करते रहते है। अगर उससे भी ठीक नहीं होने पर और भी मिट्टी वगेरह डालकर सही करा देते है। वाटर टेंकर ब्रेकडाउन होने से कभी कभार स्प्रिंकलिंग नहीं होता है जब वाटर टेंकर रनिंग कंडीशन में रहता है तो वाटर स्प्रिंकलिंग बराबर होता है।

श्री पन्नालाल मीणा जी ने कहा कि खाखादरा स्कूल की छत वगेरह ठीक कराना है। छत पर मिट्टी भर जाती है ।

इसके जवाब में कम्पनी के माईन्स मैनेजर श्री संदर्श कुमार ने बताया कि हमनें स्कूल में सीमेंट, रेती वगेरह दिया है। कन्स्ट्रक्शन में थोडा टाईम लगता है।

कम्पनी हेड श्री मोहनलाल पालीवाल ने उक्त सुनवाई में अपने समापन कथन में यह व्यक्त किया कि कम्पनी सीएसआर एवं अन्य जनकल्याण योजनाओं के तहत सभी ग्रामीणों का एवं स्कूल से विकास से संबंधित कार्यो का ध्यान में रख कर हर सम्भव मदद व प्रयास करती रही है और आगे भी करती रहेगी। जहां तक बड़े निर्माणों का सवाल है जैसे कि 10 किलोमीटर तक रोड निर्माण कराना वह कम्पनी के सामर्थ में नहीं होने की वजह से वह सर कार के क्षेत्राधिकार में आती है। इसको छोडकर सामान्य जन कल्याण हेतु कम्पनी ने कोरोना काल में एवं इसके अलावा अन्यथा भी यथा सामर्थय सहयोग किया है एवं आगे भी करती रहेगी।

अन्त में श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), उदयपुर ने बताया कि अभी भी और कोई सुझाव हो तो आप मौखिक रूप से दे सकते है और लिखित में भी दे सकते है और अगले शुक्रवार यानि 24 जून, 2022 तक मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर ज्ञापन दे सकते है या इ–मेल के द्वारा भेज सकते है।

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

कुछ ग्रामवासियों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखित में दिया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "स")

श्री शरद सक्सेना क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उदयपुर ने उपस्थित जनसमुदाय को बताया कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों एवं आक्षेपो को जनसुनवाई के कार्यवृत में शामिल किया जावेगा तथा कार्यवाही विवरण की वीडियो, रिकार्डिंग सी.डी (परिशिष्ट "द" में सलंग्न) एवं फोटोग्राफ (परिशिष्ट "य" में सलंग्न) के साथ उन्हें राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जयपुर के समक्ष प्रेषित किया जावेगा। इसके बाद क्षेत्रीय अधिकारी महोदय ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर–(प्रशासन), उदयपुर को इस जनसुनवाई को समाप्त करने हेतु निवेदन किया तत्पश्चात जनसुनवाई समाप्ति की घोषणा की गई।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन)
जिला–उदयपुर

अति. जिला कलक्टर
उदयपुर

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षे.का.,रा.प्र.नि.म., उदयपुर

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
उदयपुर (राज.)

संलग्नक:1

मैसर्स धरतीधन प्रा.लि. (पाडला–1), सोप स्टोन माईन्स, (एम.एल.नं. 22/1991, क्षैत्रफल–14.47 हैक्टेयर), प्रस्तावित कुल उत्पादन क्षमता 1105895 TPA ROM एवं प्रस्तावित सोप स्टोन उत्पादन क्षमता 49958 TPA निकट ग्राम–पाडला, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर पर्यावरण संबंधी जनसुनवाई बाबत् दिनांक 21.06.2022 को 01:00 PM बजे मैसर्स धरतीधन प्रा.लि. (पाडला–1), सोप स्टोन माईन्स, तहसील–सराडा, जिला–उदयपुर में आयोजित जनसुनवाई में उपस्थित अधिकारी एवं स्थानीय नागरिकगण:–

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
1	O.P. Bunkar	ADM, Udaipur	[signature]
2	Sharad Saksena	RO RPCB Udaipur	[signature]
3	Dr. Aditi Solanki	SO, RPCB Udr	[signature]
4	Prem chand Lohar	T. DR. SARADA	[signature]
5	Mohan Paliwal	ASDC(P)L	[signature]
6	B. S. Yadav	ASDCPL	[signature]
7	लालित	पियापुरा	लालित
8	रमेशचन्द्र	देवपुरा	[signature]
9	उदयलाल	देवपुरा	[signature]
10	माधुलाल	"	[signature]
11	नाथुलाल	" "	[signature]
12	देवेन्द्र मीणा	" "	[signature]
13	कालुलाल वद	" "	[signature]
14	राजकुमार गारण	देवपुरा	[signature]
15	प्रताप सिंह	" "	[signature]
16	शान्तीलाल	" "	[signature]
17	रामा	सरसिया	रामा
18	देवीलाल	देवपुरा	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता / विभाग का नाम	हस्ताक्षर
19	खेमराज लोहार	देवपुरा	खेमराज
20	जीवत राम मीणा	कोटला	[signature]
21	प्रेमसिंह	कोटला	[signature]
22	प्रेमा जी	कोटला	प्रेमा
23	राम लाल मीणा	देवपुरा	रामलाल
24	Anil kumar [illegible]	[illegible]	[signature]
25	परम लाल पटेल	DEVPURA	[signature]
26	Anil kumar [illegible]	Devpura	[signature]
	Keshav	Devpu	[signature]
28	केशव	अमरपुरा	केशव
	लक्ष्मण	खाखादरा	लक्ष्मण
	चौसा	देवपुरा	
	पंकज कुमार	पाडला	[signature]
	देवराज	देवपुरा	[signature]
	Krishnajeet Jain	Devpura.	Krishnajeet
	Devendra Singh Ranawat	Devpur	Devendra Singh
	अर्जुनलाल	नयारा	अर्जुन
	सवजी	देवपुरा	सवजी
	धमी	नयारा	धमी
	नानजी	नयारा	
	लक्ष्मण	नयारा	[thumbprint]
	केला		केला
	लक्ष्मण		
	Dr. Neeraj Shrivastava	EGCIPL - Udaipur	[signature]

क.सं.	व्यक्ति का नाम	पता/विभाग का नाम	हस्ताक्षर
	Mayank Bhatnagar	EGCIPL	[signature]
	Shyam Lal Suthwal	EGCIPL - Udaipur	[signature]
	Prem Prakash Kumar	Devpura	[signature]
	Shiv Kumar Lalmara	EGCIPL, Udaipur	[signature]
	Zakir Hussain	—"—	[signature]
	Neelima Klair	EGCIPL	[signature]

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदयजी
जिला - उदयपुर - राज.

Received
Housing Public
hearing
Dr. ...
21.6.2022

विषयः- ग्राम देवपुरा मे बिलानाम जमीन को लीज करवा कर वृक्षारोपण हेतु जमीन ली थी जो आज व्यवसायिक उपयोग मे ली जा रही है जो पुन सरकारी जमीन घोषित की जाई

महोदयजी

उपरोक्त विषय अन्तर्गत नम्र निवेदन है कि पूर्व मे सरकारी शिविर के माध्यम से श्री शान्तिलाल s/o हीराचन्द जैन, श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा मे वृक्षारोपण हेतु जमीन लीज करवाकर यह जमीन व्यवसायिक उपयोग मे ली जा रही है अतः यह लीज खत्म कर वापस सरकारी जमीन घोषित करवाने का कष्ट करावें

दिनांक :- 21-06-2022

Rakesh

विनीत

राकेश कुमार मीणा
उप सरपंच देवपुरा

सेवा मे

श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय
उदयपुर (राजस्थान)

RO
आवक
21/6/2022

विषय - गोलछा माईन्स की वजह से धूल मिट्टी उड़ने से ग्रामवासी को राहत दिलाने बाबत

महोदयजी

सविनय निवेदन है ग्राम खारवड़ा वार्ड नं. 9 में गोलछा माइन्स की वजह से हमारे गांव में आंगनवाड़ी छत, विद्यालय मार्ग खराब हो गया है अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस समस्या का समाधान करावे। से भारी साधन चलने से रोड भी खस्ताहालत है। व आने जाने में राहगीर व ग्रामवासीयां को दिक्कत होती है अतः रोड का कार्य दुरस्त कराने का श्रम करवाये। गोलछा माइन्स के मलबा से खेती बाड़ी में नुकसान होता है राहत दिलाने का श्रम करवाये। हमारे गांव में माइन्स होने से हमारे को रोजगार दिया जावे।

नर्वदा हिरा

(चन्दा देवी)
सरपंच
ग्राम पंचायत-पाडला
पं.स. जयसमन्द, जि. उदयपुर (राज.)

गणेश लाल सोहन रितेश पन्नालाल

कालुलाल गोपीलाल

सूरज रामा नारण

Sanlal रमेलाल गोपाल

रविना आशा श्यामलाल मीरा उरमा

मनिषा लक्ष्मी सुनीता केसरी लक्ष्मी लीला

मनिषा शान्तीलाल लक्ष्मी

नाथी निरमा शान्ता हकरी सुन्दरी अरली धर्मी हकरी गीता सुगना